राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 105/2024

राजेश कुमार पुत्र श्री श्यो करम, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 7 वीपीओ, नेतेवाला, तहसील और जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य अभियंता, सिंचाई उत्तर, हनुमानगढ़ (राजस्थान) के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत्त, श्रीगंगानगर (राज.)।
3. परियोजना अध्यक्ष, गंग नहर परियोजना, श्रीगंगानगर (राज.)।
4. मोहित पुत्र श्री रामजस, निवासी चक 4 एफ छोटी, तहसील व जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री संजीत पुरोहित।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री संजीत पुरोहित।

प्रतिवादी के लिए: सुश्री अभिलाषा बोरा।

श्री त्रिलोक जोशी,प्रतिवादी-4 की ओर से श्री संदीप बिश्नोई।

माननीय डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

निर्णय सुरक्षित : 16/02/2024

फैसला सुनाया गया : 20/02/2024

1. याचिकाकर्ता ने अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन सर्कल, श्री गंगानगर द्वारा जारी आदेश 22.12.2023 (अनुलग्नक -9) की वैधता पर सवाल उठाते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है और निम्नलिखित राहत की मांग की है:

"इसलिए, अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि रिट के लिए इस याचिका को कृपया अनुमति दी जाए, और

(i) एक उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा अधीक्षक अभियंता द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2023 अनुबंध.9 पहले से ही क्षेत्राधिकार से वर्जित है और इसलिए अवैध होने और रद्द करने और अलग रखे जाने योग्य है;

(ii) एक उचित रिट द्वारा, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को डब्ल्यूयूए साहूवाला के अध्यक्ष/अध्यक्ष के पद पर अपने कर्तव्यों का पालन करने दे।

(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे, कृपया विनम्र याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 20.02.2022 से जल उपयोगकर्ता संघ, साहूवाला (संक्षिप्तता के लिए, इसके बाद 'डब्ल्यूयूए साहूवाला' के रूप में संदर्भित) का निर्वाचित अध्यक्ष है और 09.03.2022 से एचएच नहर की वितरण समिति का निर्वाचित अध्यक्ष भी है।

3. दो भाइयों, बृज लाल और चंदू लाल के बीच राजस्व भूमि और पानी की बारी को लेकर विवाद चल रहा था, जिन्होंने तत्कालीन WUA अध्यक्ष के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गयी. इस बीच याचिकाकर्ता नए WUA अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद, एक श्री मोहित, वर्तमान याचिका में निजी प्रतिवादी संख्या 4 और चंदू लाल के पोते ने एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 13262/2023 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें पक्षों को सुनने के बाद, इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 19.10.2023 (अनुलग्नक-3) को एक आदेश पारित किया, जिसमें उत्तरदाताओं को उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जल मोड़ शुरू करने की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया गया था।

4. माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.10.2023 पारित होने के बाद, मोहित, निजी प्रतिवादी संख्या 4, ने अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन सर्कल, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें दिनांक 19.10.2023 (परिशिष्ट-3) के आदेश

की अनुपालना का अनुरोध किया गया था । यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जल टर्न पर्चियां जारी कीं, हालांकि, पार्टियों द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता ने इसे ग्राम पंचायत, साहूवाला के नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया था। याचिकाकर्ता ने एक अस्थायी जल मोड़ प्रस्ताव भी जारी किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ अधीक्षण अभियंता (अनुलग्नक -4) द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नया जल मोड़ तय किया गया था। ग्राम पंचायत साहूवाला के नोटिस बोर्ड पर भी पानी की बारी की पर्चियां चस्पा की गई। इसके बाद कृषकों द्वारा उठाई गई जल बारी पर्ची की मांग पर डब्ल्यूयूए साहूवाला के अध्यक्ष ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 19.10.2023 के अनुपालन में कार्यकारी अभियंता जल संसाधन दक्षिण डिवीजन के नाम दिनांक 25.11.2023 (अनुलग्नक -5) जारी किया।

5. अधीक्षण अभियंता जल संसाधन, सर्कल श्री गंगानगर ने दिनांक 19.12.2023 को एक नोटिस (अनुलग्नक-8) जारी कर याचिकाकर्ता को 20.12.2023 को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया। यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त नोटिस के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने जवाब प्रस्तुत किया और उसके समक्ष उपस्थित भी हुआ। इसके बाद अधीक्षण अभियंता जल संसाधन, वृत्त श्री गंगानगर ने एक कार्यालय आदेश दिनांक 22.12.2023 (अनुलग्नक-9) जारी किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को राजस्थान सिंचाई प्रणाली प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अधिनियम, 2000 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 45 के तहत दोषी पाया गया और इस तरह समिति को भंग करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया गया।

6. इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन, सर्कल श्री गंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2023 (अनुलग्नक-9) से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि संबंधित पक्षों के बीच विवाद कई वर्षों से चल रहा है और विषय दीवानी से राजस्व और फिर आपराधिक तक भिन्न है। उन्होंने आगे कहा कि निजी प्रतिवादी नंबर 4 मोहित ने बिना किसी कारण के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न शिकायतें दर्ज की थीं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायालय ने दिनांक 19.10.2023 (अनुबंध-3) के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को केवल संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया था, और उक्त निर्देश का याचिकाकर्ता द्वारा पहले ही अनुपालन किया जा चुका है।

8. इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि याचिकाकर्ता ने आदेश का विधिवत पालन किया था, यह एक-दूसरे के साथ मुकदमा कर रहे पक्षों की गलती थी और चूँकि वे जल टर्न स्लिप स्वीकार करने में अनिच्छुक थे, याचिकाकर्ता के पास इसे ग्राम पंचायत, साहूवाला के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। याचिकाकर्ता ने नोटिस पर ही सरपंच और एक टीसी सदस्य के हस्ताक्षर करा लिए। उन्होंने आगे कहा कि एक अन्य अवसर पर, याचिकाकर्ता ने जल टर्न स्लिप की प्रतियां संलग्न करते हुए कार्यकारी अभियंता जल संसाधन दक्षिण डिवीजन के नाम दिनांक 25.11.2023 (अनुलग्नक -5) जारी किया।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में कोई चूक नहीं की है और, अत: अधीक्षण अभियंता जल संसाधन, वृत्त श्री गंगानगर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अधिनियम की धारा 23 के तहत अधीक्षण अभियंता सक्षम प्राधिकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 45 के तहत, केवल सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को उसके पद से हटाने का अधिकार है और वह भी तब जब याचिकाकर्ता की कार्रवाई या निष्क्रियता उसमें उल्लिखित अयोग्यता के अंतर्गत आती है। उन्होंने आगे कहा कि सक्षम प्राधिकारी मुख्य अभियंता है न कि अधीक्षण अभियंता और इस प्रकार दिनांक 22.12.2023 का आदेश (अनुलग्नक-9) क्षेत्राधिकार से वर्जित है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया (1978) 1 एससीसी 405 में रिपोर्ट किया गया। निर्णय का प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> “8 . दूसरा समान रूप से प्रासंगिक मामला यह है कि जब कोई वैधानिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर कोई आदेश देता है, तो उसकी वैधता को उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और इसे हलफनामे या अन्यथा के रूप में नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, शुरुआत में खराब आदेश, चुनौती के कारण अदालत में आने तक, बाद में लाए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा मान्य हो सकता है। हम यहां गोर्धनदास भानजी ए.आई.टी.1952 एस.सी. 16 में बोस जे. की टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। सार्वजनिक आदेश, सार्वजनिक रूप से दिए गए, वैधानिक प्राधिकार के प्रयोग को आदेश

देने वाले अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरणों के आलोक में नहीं समझा जा सकता है कि उसका क्या मतलब था, या उसके दिमाग में क्या था, या वह क्या करने का इरादा रखता था। सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सार्वजनिक आदेश सार्वजनिक प्रभाव के लिए होते हैं और उन लोगों के कार्य और आचरण को प्रभावित करने के लिए होते हैं जिन्हें वे संबोधित किए जाते हैं और उन्हें आदेश में इस्तेमाल की गई भाषा के संदर्भ में निष्पक्ष रूप से समझा जाना चाहिए।"

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि कार्रवाई मनमानी है क्योंकि अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए था कि याचिकाकर्ता जल उपयोगकर्ता संघ का एक निर्वाचित प्रतिनिधि है और सरकारी कर्मचारी नहीं है और इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 2 इस तरह के मनमाने तरीके से आदेश पारित नहीं कर सकता है। इसके प्रयोजन के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने राजाराम गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य के मामले में इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया। [एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21332 2019 का निर्णय 14.02.2020 को हुआ], जिसमें यह देखा गया है कि निलंबन के मामले में निर्वाचित प्रतिनिधि को सरकारी कर्मचारी के बराबर नहीं माना जाएगा। प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“31. इस अदालत का मानना है कि निलंबन के मामले में निर्वाचित प्रतिनिधियों से अलग दृष्टिकोण से निपटने की जरूरत है और उन्हें सरकारी कर्मचारी के बराबर नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार के पास ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि को निलंबित करने के लिए राय बनाने के लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए और ऐसा निलंबन आदेश मनमाना और अतार्किक या राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या राजनीतिक विचारों के लिए नहीं होना चाहिए। ”

12. उन्होंने आगे कहा कि आदेश दिनांक 22.12.2023 (अनुलग्नक-9) पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था। इस प्रकार, आदेश कानून की दृष्टि से खराब है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ऑडी अल्टारेम पार्टेम। उसी प्रयोजन के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एआईआर 1993 राज.86 में रिपोर्ट किए गए जान मोहम्मद बनाम राजस्थान राज्य के मामले पर भरोसा किया। प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“41. इसके बाद हमारा ध्यान लिबर्टी ऑयल मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के निर्णय की ओर आकर्षित हुआ: AIR 1984 SC 1271, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के खंड 8-ए और 8-बी के प्रभाव पर विचार किया। इसे पृष्ठ 1284 पर निम्नानुसार देखा गया:

> "जांच शुरू होने से खंड 8 के तहत कार्यवाही शुरू होने पर, प्राधिकरण को इस सवाल का समाधान करना होगा कि क्या आगे की क्षति या शरारत को रोकने के लिए अंतरिम प्रकृति की कोई भी कार्रवाई लंबित जांच के लिए जरूरी है। लाइसेंस पहले ही जारी किए जा चुके होंगे और आयातित वस्तुओं का आवंटन पहले ही किया जा चुका होगा। प्राधिकारी व्यक्ति को लाइसेंस के अनुसार माल आयात करने से रोकना या निर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से उसे आवंटित आयातित माल प्राप्त करने से रोकना वांछनीय मान सकता है। यदि ऐसा है, तो प्राधिकरण खंड 8-ए के तहत माल के आयात, आयातित माल के आवंटन पर लाइसेंस देने को निलंबित करने का आदेश दे सकता है। लेकिन खंड 10 में प्रावधान है कि खंड 8-ए के तहत संबंधित व्यक्ति को उचित अवसर दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से सोचा गया है कि लाइसेंस प्राप्त करने या माल का आवंटन प्राप्त करने का अधिकार लाइसेंस या आवंटन में क्रिस्टलीकृत हो गया है, खंड 8-ए के तहत एक आदेश का संबंधित व्यक्ति पर तत्काल और गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे यह वांछनीय हो जाता है कि निलंबन का आदेश देने से पहले उसे सुना जाना चाहिए, इसलिए खंड 8-ए एक पूर्व निर्णयात्मक सुनवाई पर विचार करता है। दूसरी ओर, हो सकता है कि लाइसेंस अभी तक जारी नहीं किए गए हों और आवंटन अभी भी करना पड़े। उपयुक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि उसके खिलाफ आरोपों के संबंध में अधिक जानकारी सुनिश्चित किए बिना संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस जारी करना या आवंटन करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। ऐसे मामलों में, प्राधिकरण खंड 8-बी के तहत स्थगन का आदेश

दे सकता है। दोनों खंड 8-ए और 8-बी खंड 8 के तहत आरोपों की जांच लंबित रहने तक अंतरिम प्रकृति की कार्रवाई पर विचार करते हैं। आमतौर पर, किसी और चीज के अभाव में, खंड 8-ए या खंड 8-बी के तहत कार्रवाई करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन जबकि खंड 8-बी लाइसेंस प्राप्त करने के अधिकार और आवंटन प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित है। खंड 8-ए उन अधिकारों से संबंधित है जो लाइसेंस और आवंटन में विकसित हुए हैं। जिस व्यक्ति को लाइसेंस दिए गए हैं या आवंटन किए गए हैं, उसने अपने मामलों को उस आधार पर व्यवस्थित किया होगा और दूसरों के साथ लेनदेन में प्रवेश किया होगा और उसके लिए खंड 8-ए के तहत कार्रवाई के परिणाम वास्तव में विनाशकारी हो सकते हैं, जबकि खंड 8-बी के तहत कार्रवाई के परिणाम इतने तत्काल हानिकारक नहीं हो सकते हैं। ऐसा संभवतः खंड 8-ए और 8-बी के बीच इस जीवंत अंतर के कारण है कि खंड 10 खंड 8-ए के तहत कार्रवाई के मामले में पूर्व-निर्णयात्मक अवसर प्रदान करता है और खंड 8-बी के तहत कार्रवाई के मामले में ऐसा प्रदान नहीं करता है।

फिर, यह संभवतः इस अंतर के कारण है कि खंड 10, खंड 8-ए के तहत किसी निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान करते समय खंड 8-बी के तहत किसी निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता है क्योंकि अधिनियम की धारा 4-एम और 4-एन अधिनियम के तहत किए गए किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील और संशोधन का प्रावधान करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि खंड 8-बी के तहत कार्रवाई के मामले में प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती हैं। खंड 8-बी के तहत कार्रवाई के मामले में पीड़ित व्यक्ति द्वारा इस संबंध में किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार करके प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। खंड 8-बी स्वयं यह संकेत देता है कि संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर निर्णय के बाद

ऐसे अवसर पर विचार किया जाता है। खंड 8-बी के तहत कार्रवाई की जानी है यदि प्राधिकरण सार्वजनिक हित में इतना संतुष्ट है कि आरोपों के संबंध में अधिक विवरण सुनिश्चित किए बिना ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जब प्राधिकारी द्वारा आगे के तथ्यों का पता लगाया जाता है या प्राधिकारी के ध्यान में लाया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई की समीक्षा की जा सकती है। जबकि एक पक्षीय अंतरिम आदेश हमेशा पूर्व-निर्णय अवसर के बिना या आदेश के बिना ही निर्णय के बाद का अवसर प्रदान किए बिना दिए जा सकते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कभी भी बाहर नहीं रखा जाता है, यदि निर्णय के बाद अवसर दिया जाता है, यदि मांग की जाती है, तो वे संतुष्ट होंगे। खंड 8-बी के तहत कार्रवाई के मामले में पूर्व-निर्णय का अवसर देना आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रभावित व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर निर्णय के बाद का अवसर दिया जाना चाहिए।

इसके बाद हमारा ध्यान पुन: विशेष न्यायालय विधेयक, 1978, एआईआर 1979 एससी 478, में सर्वोच्च के आधिपत्य के एक निर्णय की ओर आकर्षित हुआ, जिसमें निर्णय के पैरा 73 में, प्राकृतिक न्याय के कुछ सिद्धांतों को सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा निकाला गया है। यह प्राधिकरण वर्गीकरण से संबंधित है। वर्तमान में, हम वर्गीकरण से चिंतित नहीं हैं और इसलिए, इस प्राधिकरण का इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।"

13. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी गलत इरादे के दिनांक 22.12.2023 (अनुलग्नक-9) का आदेश सही ढंग से पारित किया है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद, अधिनियम की धारा 22 और 45 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सिंचाई प्रणाली प्रबंधन नियम, 2002 (इसके बाद '2002 के नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 56 के नियम 56 के साथ पढ़ा जाएगा।)

14. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 17 (ए) के अनुसार, 'बाराबंदी' की तैयारी और कार्यान्वयन दोनों डब्ल्यूयूए का कार्य है और वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा कार्यान्वयन नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित हल्का पटवारी द्वारा भौतिक निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि पंचायत भवन के मुख्य द्वार पर केवल नोटिस दिनांक 23.10.2023 चिपकाया गया था, हालांकि, संशोधित जल पर्चियां चिपकाई नहीं गई थीं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उसके पद से हटा दिया गया है, क्योंकि वह अपने कार्यों को करने में विफल रहा है और यह अधिनियम की धारा 45 के तहत अयोग्यता का वैध आधार है। अधिनियम की धारा 17(ए) को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “17.जल उपयोगकर्ता संघ के कार्य - जल उपयोगकर्ता संघ निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:-
>
> (ए) पात्रता, क्षेत्र, मिट्टी और फसल पैटर्न के आधार पर, परिचालन योजना के अनुरूप, प्रत्येक सिंचाई सीज़न के लिए एक युद्धबंदी कार्यक्रम तैयार करना और लागू करना;
>
> xxxx"

15. मैंने पक्षों के वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया है।

16. इस न्यायालय का मानना है कि दिनांक 22.12.2023 (अनुलग्नक-9) के लागू आदेश में, उत्तरदाताओं ने विशेष रूप से देखा है कि 20.12.2023 को, कार्यकारी अभियंता, अध्यक्ष डब्ल्यूयूए साहूवाला और निजी प्रतिवादी नंबर 4 संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित थे। . एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13262/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 के अनुसरण में, निजी प्रतिवादी संख्या 4 ने पानी की पर्चियों की मांग की। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने अवगत कराया कि पार्टियों के बीच विवाद के कारण, पानी की पर्चियाँ नोटिस बोर्ड पर चिपका दी गई थीं, हालाँकि, उन्होंने फिर से आश्वासन दिया कि पानी की पर्चियाँ 21.10.2023 तक चिपका दी जाएंगी और इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। इसके बाद, 22.12.2023 को याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी के समक्ष कोई सबूत या रिपोर्ट पेश करने में विफल रहा, हालांकि याचिकाकर्ता एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13262/2023 में पक्षकार प्रतिवादी नंबर 4 था और उसने जानबूझकर उक्त रिट याचिका में पारित आदेश का पालन नहीं किया।

17. इसके अलावा, आक्षेपित आदेश से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 का पालन नहीं किया और चंदू लाल के नाम से जारी चक 4 एफ छोटी मुरब्बा नंबर 30 और 51 की पानी पर्ची को बदलकर बृज लाल के नाम कर दिया गया, लेकिन स्थिति बहाल करने की आवश्यकता थी और निजी प्रतिवादी नंबर 4 मोहित के दादा चंदूलाल के नाम पर नई जल पर्चियां जारी करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, मोहित (एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 13262/2023 में याचिकाकर्ता और यहां निजी प्रतिवादी नंबर 4) के पक्ष में जल पर्ची जारी नहीं करने में याचिकाकर्ता की ओर से कार्रवाई से भयभीत होकर, उन्होंने याचिकाकर्ता/राष्ट्रपति के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 22.12.2023 को लागू आदेश का ऑपरेटिव भाग (अनुलग्नक-9) इस प्रकार है: -

> प्रकरण में दिनांक 20.12.2023 को अधिषाशी अभियन्ता, अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगत साहूवाला एवं प्रार्थी उपस्थित आयें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संख्या 13262/2023 में दिनांक 19.10.2023 को आवेदन में पानी की रसीद दर्ज करवायें। इस संबंध में राष्ट्रपति जल उपयोक्ता संगत साहूवाला ने एप्राइयन कि पानी की डॉक्युमेंट में दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय विवाद होने के कारण पानी की डॉक्युमेंट सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कर दी गई है, अध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट परिचय नहीं दिया गया है जिससे स्पश्ट नहीं हो सके। ऐसा होता है कि पानी की पर्ची सार्वजनिक स्थल पर चस्पा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21.10.2023 तक पानी की डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक स्थल पर पुनः आरंभ करने सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
>
> राष्ट्रपति जल उपयोक्ता संगम द्वारा प्रकरण में आज दिनांक 22.12.2023 तक पानी के दस्तावेज के संबंध में कोई प्रमाण/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा जनबुझकर, उच्च न्यायालय, जोधपुर में फाइल संख्या 13262/2023 में स्वयं समर्थक होने के उपरान्त में न्यायालय के आदेश की आज्ञा/अवहेलना कर स्वयं के लिखित/मोक्षिक संबंध स्थापित करने के लिए जाने के उपरान्त एवं विभाग के निर्देश, जो कि नहीं कर अपने कर्त्तव्यों एवं देनदारियों का निष्ठां घटता नहीं जा रहा है।

मूलतः श्री राजेश कुमार, अध्यक्ष जल उपयोक्ता संगत साहूकार राजस्थान में सीलबंद सिस्टम प्रबंधन में कृषकों की सलामी नियम 2000 के आश्रम प्रदत्त कृतियों/शक्तियों के प्रतिद्वंदी प्रतिष्ठान, उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की आज्ञा/अवहेलना करने के लिए अपने लिखित में कहा गया आश्वासन की शिक्षा न करने एवं विभाग द्वारा प्रदत्त आदेशों/निर्देशों की नवीनता के साथ-साथ दक्षिण खंड श्री गंगानगर अनुशंषा के आधार पर राजस्थान कृषक की धारा 45 के अनुशासित अभियंता जल संसाधन संगम साहूवाला की प्रबंधन समिति का विघटन प्रभाव से होता है।

18. यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 45 के दायरे में आता है, क्योंकि प्रावधान बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि शक्तियों और कार्यों के दुरुपयोग या किसी ऐसे कार्य के मामले में प्रबंध समिति को भंग करने का अधिकार 'सक्षम प्राधिकारी' के पास है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। अधिनियम की धारा 17 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या किए जाने पर उक्त प्रावधान बताता है कि जल उपयोगकर्ता संघ के कार्यों में से एक, प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के लिए 'बाराबंदी' अनुसूची तैयार करना और उसे लागू करना है, और इस प्रकार यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता, WUA के अध्यक्ष होने के साथ-साथ वितरक समिति के अध्यक्ष होने के नाते, न केवल 'बाराबंदी' अनुसूची तैयार करने बल्कि उसे लागू करने के लिए भी बाध्य और कर्तव्यबद्ध था, जिसे वह करने में विफल रहा। इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता ने याचिकाकर्ता को उसके पद से हटाने के लिए अयोग्यता के प्रावधानों की सही व्याख्या की है। प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“45. कृषक संगठन की प्रबंध समिति का विघटन - कृषक संगठन की प्रबंध समिति की ओर से किसी गबन, धोखाधड़ी, शक्तियों और कार्यों के दुरुपयोग या इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी अन्य कार्य के मामले में, परियोजना क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रबंध समिति को भंग करने और कृषक संगठन के कार्यों को पूरा करने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था करने की शक्ति होगी, बशर्ते कि ऐसे विघटन के मामले में प्रबंध समिति को विघटन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर पुनर्गठित किया जाएगा।”

19. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चलता है कि जल उपयोगकर्ता संघ का क्षेत्र 'आईजीएनपी' के अंतर्गत आता है और समिति को भंग करने की

शक्ति अधिनियम की धारा 45 के तहत 'सक्षम प्राधिकारी' के पास है, जिसे 2002 के नियमों के नियम 56 के साथ पढ़ा जाता है, जो निर्धारित करता है कि संबंधित 'अधीक्षण अभियंता' आईजीएनपी और अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 22 में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए प्रत्येक किसान संगठन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और इस प्रकार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वर्तमान मामले में अधीक्षण अभियंता सक्षम प्राधिकारी नहीं है, योग्यता से रहित है। प्रासंगिक नियम निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

“56. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति.-

अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी होंगे: -

आईजीएनपी कमांड क्षेत्र के लिए:	संबंधित अधीक्षण अभियंता जिसके क्षेत्र में किसान संगठन मौजूद है
चंबल कमांड क्षेत्र के लिए:	अधीक्षण अभियंता सीएडी, कोटा
माही और बीसलपुर तथा अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए:	संबंधित अधीक्षण अभियंता जिसके क्षेत्र में किसान संगठन मौजूद है।
सभी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और सीएलआई (सामुदायिक लिफ्ट योजना) के लिए, जिनका सीसीए 500 हेक्टेयर से अधिक है:	अधिशासी अभियंता जिसके क्षेत्र में किसान संगठन मौजूद है।
सभी लघु/लघु सिंचाई कार्यों और सीएलआई के लिए जिनका सीसीए 50 हेक्टेयर से अधिक और सीसीए	

500 हेक्टेयर तक है:	संबंधित सहायक अभियंता जिसके क्षेत्र में किसान संगठन मौजूद है।
पंचायतों के साथ छोटे टैंक, एनीकट, जोहड़, खड़ीन, तालाब और	
50 हेक्टेयर तक के सीएलआई के लिए:	उनके नियंत्रण में सीसीए पंचायत समिति के संबंधित विकास अधिकारी”

20. अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत 'सक्षम प्राधिकारी' को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

> “2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
> (ग) 'सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य धारा 22 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से है”

21. अधिनियम की धारा 22 में निम्नलिखित प्रावधान है:

> “22. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति और उसके कार्य।- (1) सरकार अधिसूचना द्वारा सिंचाई विभाग या कमांड क्षेत्र विकास विभाग या राज्य के किसी अन्य विभाग के ऐसे अधिकारी को, जिसे आवश्यक समझा जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रत्येक कृषक संगठन के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।
>
> (2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, कृषक संगठन द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के क्रियान्वयन और निष्पादन में, यथाविहित तरीके से, संबंधित कृषक संगठन के प्रति उत्तरदायी होगा और तकनीकी सलाह प्रदान करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य तकनीकी मापदंडों के अनुसार निष्पादित किया जाए।

22. प्रतिवादियों द्वारा अनुलग्नक-आर/4 के रूप में उत्तर के साथ अभिलेख पर रखे गए दिनांक 21.11.2023 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि डी.बी. विशेष अपील संख्या 940/2023 में माननीय खंडपीठ ने जल संसाधन मंडल, श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधीक्षण अभियंता द्वारा समिति को भंग करने के अधिकार के संबंध में विवाद पर विचार

करते हुए यह माना है कि अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रबंध समिति को भंग करने में सक्षम प्राधिकारी पूरी तरह से न्यायोचित था। इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित उक्त आदेश का क्रियाशील भाग इस प्रकार है:

> 7. याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए जाने के बाद भी याचिकाकर्ता ने आदेश का क्रियान्वयन नहीं करने का निर्णय लिया तथा उक्त आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए अधीक्षण अभियंता की कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
>
> 8. जहां तक अधिनियम की धारा 45 के तहत जारी आदेश का संबंध है, धारा 45 इस प्रकार है:
>
> "किसी किसान संगठन की प्रबंध समिति की ओर से किसी गबन, धोखाधड़ी, शक्तियों और कार्यों के दुरुपयोग या किसी अन्य कृत्य के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को प्रबंध समिति को भंग करने का अधिकार होगा।"
>
> 9. इस संबंध में बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का क्रियान्वयन न करना शक्तियों और कार्यों का घोर दुरुपयोग है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पारित आदेश अधिनियम की धारा 45 के तहत प्रदत्त शक्तियों से परे थे।
>
> 10. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता, इसलिए अपील खारिज की जाती है।"

23. इस न्यायालय को यह पता चलता है कि मोहित (निजी प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा प्रस्तुत एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13262/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 (अनुलग्नक-3) के अनुसार, याचिकाकर्ता को संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया गया था और वह न केवल तलाशने के लिए बाध्य था, बल्कि तलाशने के बाद यदि यह पाया गया कि मोहित (निजी प्रतिवादी संख्या 4) के पक्ष में वाटर टर्न शुरू किया जा सकता है, तो उसे इसे लागू भी करना था। याचिकाकर्ता द्वारा वाटर टर्न शुरू करने की संभावना तलाशने के बाद, याचिकाकर्ता ने विभिन्न कारणों से इसे लागू नहीं किया था, जैसा कि उसने तर्क दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13262/2023 में माननीय न्यायालय से न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा और न ही मोहित (निजी प्रतिवादी संख्या 4) के पक्ष में नया वाटर टर्न लागू किया। इस न्यायालय ने यह भी

पाया कि याचिकाकर्ता को अवसर दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस तथ्य को पुष्ट करने वाला कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा कि उसने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 13262/2023 में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का विधिवत अनुपालन किया था। इस प्रकार, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.10.2023 (अनुलग्नक-3) के आदेश को उसके वास्तविक अर्थों में लागू या अनुपालन नहीं किया है। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उद्धृत निर्णय इस मामले पर लागू नहीं होते हैं।

24. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि दिनांक 22.12.2023 (अनुलग्नक-9) का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया गया है, हालांकि, याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए दिनांक 22.12.2023 (अनुलग्नक-9) के आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

25. इस न्यायालय को रिट याचिका में कोई दम नहीं दिखता, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। स्थगन याचिका और विविध आवेदन, यदि कोई हो, खारिज किए जाते हैं।

(डॉ**.** नूपुर भाटी**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।